

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकरी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:— सकीया

विपक्षी:— हर्ष मेहता

किस्म मुकदमा:— प्रा.पत्र

पत्रावली संख्या:— 123/18

दिनाक:—04.12.2019

पत्रावली पेश आज हुई प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नही हुये प्रकरण का मूल वाद 129/18 तामिल के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत खारिज किये जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नही रहती है।

अतः इस पत्रावली को भी इसी स्टेज पर खारित की जाती है। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ.सौम्या झा)
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा— उदयपुर

